(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
प्रार्थना पत्र 6ए : 06 / 2023 (02 / 2023)
तारीख रजू : 15.09.2023 (03.01.2023)

उनवान

1. सरकार जरिये अमित यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0।
– प्रार्थी

बनाम

1. अनिता पत्नी रामकुमार चौधरी जाति जाट निवासी मौहल्ला बडा बास वार्ड नं0 29 बानसूर रोड़ कोटपूतली जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़, राज0। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 71 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. विभागीय पैरोकार रसद, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 03.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09–12–2022 को श्रीमान जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय निर्देशानुसार श्रीमती अनिता पत्नी श्री रामकुमार चौधरी निवासी मोहल्ला बडा बास बानसूर रोड कोटपूतली द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध उपयोग की शिकायत पर जांच बाबत मैं प्रवर्तन निरीक्षक अमित यादव बहमराह प्रवर्तन अधिकारी श्री इन्द्रपाल मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक श्री रमेश मीणा एवं प्रवर्तन निरीक्षक सूश्री विमला मीणा श्री मुकेश खींची मौहल्ला बडा वास बानसूर रोड कोटपूतली जिला जयपुर पर पहुंचे। मौके पर श्रीमती अनिता उपस्थित मिली जिनकी उपस्थिति में जांच करने पर मकान के बाहर एचपी कम्पनी के 3 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो क्षमता के पाए गये श्रीमती अनिता के मकान के परिसर में ही बने कमरे की जांच करने पर कमरे में एचपी कम्पनी के 12 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो क्षमता के जिनमें 5 भरे हुए सीलबंद तथा 7 खाली सिलेण्डर पाये गये साथ ही मौके पर 3 इलेक्ट्रिक मोटर रेगुलेटर लगी हुई पाई गई। मौके पर उपस्थित श्रीमती अनिता पत्नी श्री रामकुमार चौधरी उक्त सिलेण्डरों के संबंध में पूछताछ करने पर इलेक्ट्रिक मोटरों के माध्यम से गाडियों में एलपीजी भरना बताया। उक्त गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति के संबंध में पूछताछ करने पर मैसर्स मीणा गैस ऐजेन्सी (एचपी) कोटपूतली द्वारा आपूर्ति करना बताया। श्रीमती अनिता द्वारा बताया गया कि गाडियों में गैस भरने के पेटे प्रति सिलेण्डर 1150 रूपये लिये जाते है एवं यह कार्य इनके द्वारा विगत 02 वर्षो से किया जा रहा है। इस प्रकार श्रीमती अनिता पत्नी श्री रामकुमार चौधरी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर दविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 71 किलोग्राम को जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से भैसर्स रावत गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर श्री सतवीर गुर्जर पुत्र श्री जयराम निवासी कोटपूतली जिला जयपुर की सुपुर्दगी में दिये गये। अत श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 71 किलोग्राम को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित के काम आने वाली वस्तु है। अतः धारा 6"ए"(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निरतारण के आदेश भी प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। विभागीय पैरोकार ने जप्त 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 71 किलोग्राम को धारा–6"ए"(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।
3. बहस एक पक्षीय विभागीय पैरोकार रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जांचदल द्वारा मौके मौके पर श्रीमती अनिता उपस्थित मिली जिनकी उपस्थिति में जांच करने पर मकान के बाहर एचपी कम्पनी के 3 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो क्षमता के पाए गये श्रीमती अनिता के मकान के परिसर में ही बने कमरे की जांच करने पर कमरे में एचपी कम्पनी के 12 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलो क्षमता के जिनमें 5 भरे हुए सीलबंद तथा 7 खाली सिलेण्डर पाये गये साथ ही मौके पर 3 इलेक्ट्रिक मोटर रेगुलेटर लगी हुई पाई गई। श्रीमती अनिता द्वारा बताया गया कि गाडियों में गैस भरने के पेटे प्रति सिलेण्डर 1150 रूपये लिये जाते है एवं यह कार्य इनके द्वारा विगत 02 वर्षो से किया जा रहा है। इस प्रकार श्रीमती अनिता पत्नी श्री रामकुमार चौधरी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण कर दविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जब्तशुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 71 किलोग्राम को राजसात करने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। अतः उक्त जब्तशुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 71 किलोग्राम को को धारा 6"ए"(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राजसात करने के आदेश फरमावें।
5. पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जप्ती दिनांक 09.01.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन करने पर स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 6"ए"(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 71 किलोग्राम आदेश 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 71 किलोग्राम को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6"ए"(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जप्त 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 71 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जप्त 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 71 किलोग्राम का निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ को प्रेषित हो। पत्रावली शामिल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
8. निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)
सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़
कोटपूतली–बहरोड़